

कायलिय : प्रभागीय वनाधिकारी,
ठिहरी वन प्रभाग,
नई ठिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ईमेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : ७३३/१२१
सेवा में,

नई ठिहरी, दिनांक— ०१/११/ २०२०

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,
घनसाली, मु०-धुमेटीधार।

विषय:- जनपद-ठिहरी गढ़वाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.2375 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/14272/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं०-०८वी/यू०सी०पी०/०६/१४४/२०१६/१५९४, दिनांक:-२१-१०-२०२०।

महोदय,

जनपद-ठिहरी गढ़वाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.2375 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन प्रस्तुत किया जायेगा:-

- 1— शर्त सं०-०१ के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2— शर्त सं०-०२ के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

- 3— शर्त सं०-०३—प्रतिपूरक वनीकरण :-

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 6.475 है० गैर वन भूमि ग्राम-केपार्स सिविल खसरा नं०-५, ७, १८, ५६, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३५०, ३५२, ३५५, ३५६, ३२६०, ३२६१, ३२६६, ३२७१, ३२७२, ३३१८, ३३१९, ३३२०, ३३२१, ३३२४, ३३२६, ३३३०, ३३४१, ३३४२, ३४०३, ३४०४, ३४०८, ३४३३ में प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु०-२१,८३,२६६.०० (इक्कीस लाख तिरासी हजार दो सौ छियासठ रूपये मात्र) जमा की जायेगी। वनीकरण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार है:-

प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि के मांग का आंकलन

- 1—प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल – 6.475 है०
- 2—वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर – 3,37,184.00 (तीन लाख सैन्तीस हजार एक सौ चौरासी)
- 3—प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल धनराशि की मांग— 6.475 है०X3,37,184.00=21,83,266.4 या 21,83,266.0 (इक्कीस लाख तिरासी हजार दो सौ छियासठ रूपये मात्र)

ख) प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि को कब्जे में लिए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रमाण-पत्र अमल-दरामद मय नक्शा, खसरे के प्रस्तुत करना होगा।

क्रमशः - - २ - -

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4— शर्त सं०-०४—शुद्ध वर्तमान मूल्य:-

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांक:-30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt.2), दिनांक:-18-09-2003, 5-2/2006-एफ०सी०, दिनांक:-03-10-2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक:-05-02-2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार मु0-27,35,688.00 (सत्ताइस लाख पैन्तीस हजार छ: सौ अडसठ रुपये मात्र) की धनराशि 3.2375 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धराशि की मांग का आंकलन निम्नप्रकार हैः—

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि का आंकलन

1—ईको-क्लास श्रेणी – V

2—हरियाली का घनत्व— 0.4

3—एन०पी०वी० की दर प्रति है० रुपये— 8,45,000.00 (आठ लाख पैन्तीस हजार रुपये मात्र)

4—आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल — 3.2375 है०

5—कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि—3.2375X8,45,000.00=27,35,687.5 या 27,35,688.00

(सत्ताइस लाख पैन्तीस हजार छ: सौ अडसठ रुपये मात्र)

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

5— शर्त सं०-०५ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 448 trees including 175 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

6— शर्त सं०-०६ के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में रथानांतरित / जमा किए जाएंगे।

7— शर्त सं०-०७ के अनुपालन में State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

8— शर्त सं०-०८ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

9— शर्त सं०-०९ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

10— शर्त सं०-१० के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

11— शर्त सं०-११ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

12— शर्त सं०-१३ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

13— शर्त सं०-१३ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

14— शर्त सं0-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

15— शर्त सं0-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

16— शर्त सं0-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

17— शर्त सं0-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

18— शर्त सं0-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यवित्त को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

19— शर्त सं0-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक-29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

20— शर्त सं0-20 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी।

21— शर्त सं0-21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्द्ध रथलों पर इस प्रकार मलवे का निरतारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्योक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर दीवारें बनाई जाएंगी। निरतारण रथलों को राज्य वन विभाग को साँपने से पूर्व, इनका रिथरीकरण एवं सुधार आरंभ किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु अनुमति नहीं होगी।

22— शर्त सं0-22 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

23— शर्त सं0-23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर अपलोड की जाएगी।

अतः भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रवीकृति में अधिरोपित शर्तों की विन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का काप्त करें।

मवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
पूर्वनई टिहरी

संख्या : / तददिनांकित।
प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी